रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 1982/माघ 19, 1903

No. 24] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 198 /MAGHA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1982

सं० II/15011/1/82-आईएस(डी०ओ०-II):—रिट याचिकाओं अर्थात् (1) 1980 का सं० 5724, ए०के० राय बनाम भारत संघ और ए०एंड आर० (2) 1980 का 5874, थानसिंह त्यागी बनाम भारत संघ और ए० एंड आर० और (3) 1980 का 5433, डा० बसन्त कुमार पंडित बनाम भारत संघ के संबंध में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन तब तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसे प्रदायों और सेवाओं के बारे में, जिनका बनाए रखा जाना समुदाय के लिए आवश्यक समझा गया है और जिनके संबंध में निरोध-आदेश पारित करने का प्रस्ताव है, काफी पहले से ही बनाई या प्रकाशित की गई विधि या अधिसूचना द्वारा जनता को समुचित रूप से जानकारी नहीं दे दी गई है।

अतः केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का 65) की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निरोध के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्रदायों और सेवाओं को समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा और इनसे संबंधित सेवा भी इसके अन्तर्गत है;

(ii) कोई रेल सेवा या वायु मार्ग द्वारा यात्रियों या माल को ले जाने के लिए कोई परिवहन सेवा अथवा भू-मार्ग या जल-मार्ग द्वारा यात्रियों या माल को ले जाने के लिए कोई अन्य परिवहन सेवा;

(iii) विमान-क्षेत्रों को चालू रखने या बनाए रखने से अथवा वायुयान को चलाने उसकी मरम्मत करने या उसे बनाए रखने से संबंधित कोई सेवा अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 के अधीन गठित अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण में कोई सेवा;

(iv) किसी महापत्तन में या उसके कार्यकरण के संबंध में कोई सेवा, जिसके अन्तर्गत ऐसे किसी पत्तन में माल के लादने उतारने, संचलन या उसके भंडारकरण से संबंधित कोई सेवा भी है,

(v) संघ के सशस्त्र बलों के किसी स्थापन में या उससे संबद्ध कोई सेवा अथवा रक्षा से संबद्ध किन्हीं भी अन्य स्थापनों या प्रतिष्ठानों में कोई सेवा;

(vi) रक्षा से सम्बद्ध किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित किसी माल के उत्पादन से संबंधित किसी स्थापन या उपक्रम में कोई सेवा;

(vii) किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी औद्योगिक उपक्रम के किसी अनुभाग में कोई सेवा जिसके कार्यकरण पर ऐसे उपक्रम या उसमें नियोजित कर्मचारियों की सुरक्षा निर्भर है;

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजन के लिए "औद्योगिक उपक्रम" और "अनुसूचित उद्योग" पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 3 के खंड (घ) और खंड (झ) में हैं।

(ix) किसी ऐसे उपक्रम के जो खाद्यान्न के क्रय, उपापनभंडारण, प्रदाय या वितरण के कारबार में लगा उपक्रम है, कार्यकरण में या उसके संबंध में कोई सेवा;

(x) सार्वजनिक सफाई, स्वच्छता या जल प्रदाय की किसी प्रणाली अस्पतालों या चिकित्सालयों में या उनके कार्यकरण के संबंध में कोई सेवा;

(xi) बैंककारी के संबंध में या उसके बारे में कोई सेवा;

(xii) कोयला, शक्ति, इस्पात या उर्वरकों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण से संबद्ध किसी स्थापन या उपक्रम में कोई सेवा

(xiii) किसी तेल क्षेत्र या परिष्करणी में या पेट्रोलियम या पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, प्रदाय या वितरण से संबद्ध किसी स्थापन या उपक्रम में कोई सेवा;

(xiv) किसी टकसाल या मुरक्षा मुद्रणालय में कोई सेवा;

(xv) संसद या राज्य विधानमण्डलों के निर्वाचन के संबंध में कोई सेवा;

(xvi) संघ या किसी भी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कोई सेवा जो पूर्ववर्ती प्रवर्गों में से किसी में विनिर्दिष्ट सेवा नहीं है।

जी० एस० ग्रेवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th February, 1982

No. II/15011/1/82-IS(DOII).—Whereas in the judgement in the Writ petitions, namely (1) No. 5724 of 1980, A. K. Roy Vs. Union of India and A&R, (2) No. 5874 of 1980, Than Singh Tyagi Vs. Union of India and A&R and (3) No. 5433 of 1980, Dr. Vasant Kumar Pandit Vs. Union of India, the Supreme Court has held that no person can be detained under sub-section (2) of section 3 of the National Security Act, 1980 (65 of 1980), with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of supplies and services essential to the community unless by a law or notification made or published fairly in advance the supplies and services, the maintenance of which is regarded as essential to the community and in respect of which the order of detention is proposed to be passed, are made known appropriately to the public ;

Now, therefore, for the purposes of detention under sub-section (2) of section 3 of the National Security Act, 1980 (65 of 1980), the Central Government notifies the following supplies and services as supplies and services essential to the community, namely :—

(i) Any postal, telegraph or telephone service, including any service connected therewith ;

(ii) any railway service or any transport service for the carriage of passengers or goods by air or any other transport service for the carriage of passengers or goods by land or water ;

(iii) any service connected with the operation or maintenance of aerodromes, or with the operation, repair or maintenance of aircraft, or any service in the International Airports Authority of India constituted under section 3 of the International Airports Authority Act, 1971, (43 of 1971) ;

(iv) any service in, or in connection with the working of any major port, including any service connected with the loading, unloading, movement or storage of goods in any such port ;

(v) any service connected with the clearance of goods or passengers through the customs or with the prevention of smuggling ;

(vi) any service in any establishment of, or connected with, the armed forces of the Union or in any other establishments or installations connected with defence ;

(vii) any service in any establishment or undertaking dealing with the production of goods required for any purpose connected with defence ;

(viii) any service in any section of any industrial undertaking pertaining to a scheduled industry on the working of which the safety of such undertaking or the employees employed therein depends,

Explanation—For the purposes of this sub-clause, the expressions "industrial undertaking" and "scheduled industry" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (d) and (i) of section 3 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) ;

(ix) any service in, or in connection with, the working of any undertaking being an undertaking engaged in the purchase, procurement, storage, supply or distribution of foodgrains ;

(x) any service in, or in connection with the working of, any system of public conservancy, sanitation or water supply, hospitals or dispensaries ;

(xi) any service in connection with or in relation to banking ;

(xii) any service in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of coal, power, steel or fertilizers ;

(xiii) any service in any oilfield or refinery or in any establishment or undertaking dealing with the production, supply or distribution of petroleum and petroleum products ;

(xiv) any service in any mint or security press ;

(xv) any service in connection with elections to Parliament or to the Legislatures of the States ;

(xvi) any service in connection with the affairs of the Union, or a State not being a service specified in any of the foregoing categories.

G. S. GREWAL, It. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982